

FP/UP/Pipeline/148459/2021

## भाग IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17	<p>टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिए राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें।</p> <p>(राय देते समय सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचानात्मक टिप्पणी दी जाय)</p>	<p>ef, 22/3/22</p> <p>.....की संस्तुति के आधार पर स्वीकृतार्थ संस्तुति की जाती है।</p>
----	---	--

दिनांक:- 22/3/22  
स्थान

हस्ताक्षर  
नाम  
सरकारी मोहर

Anupam Gupta  
Chief Conservator of Forest/Nodal Officer  
Forest Conservation Act. 1980  
U.P. Lucknow